

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 फरवरी 2026—फाल्गुन 8, शक 1947

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 31 दिसम्बर 2025

क्रमांक ESTB-102(1)/605/2025-GAD-2.—राज्य शासन एतद्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के आवंटन वर्ष 2013 बैच के निम्नांकित अधिकारियों को आवंटन वर्ष से 13 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप, दिनांक 01-01-2026 से सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान Pay Matrix Level-13 में नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख दर्शित नवीन पदस्थापना पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री गौरव कुमार सिंह, भा.प्र.से.	कलेक्टर, जिला रायपुर	कलेक्टर, जिला रायपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री अजीत वसंत, भा.प्र.से.	कलेक्टर, जिला-सरगुजा	कलेक्टर, जिला-सरगुजा
3.	श्री विनीत नंदनवार, भा.प्र.से.	संचालक, भू-अभिलेख तथा अति. प्रभार संयुक्त सचिव, जनशिकायत एवं निवारण विभाग	संयुक्त सचिव, जनशिकायत एवं निवारण विभाग तथा अति. प्रभार संचालक, भू-अभिलेख.
4.	श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल, भा.प्र.से.	कलेक्टर, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	कलेक्टर, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई
5.	श्री जगदीश सोनकर, भा.प्र.से.	प्रबंध संचालक, अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम	प्रबंध संचालक, अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम
6.	श्री राजेंद्र कुमार कटारा, भा.प्र.से.	कलेक्टर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज	कलेक्टर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
7.	श्री पी. एस. ध्रुव, भा.प्र.से.	संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़	संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

2. सुश्री नम्रता गांधी, भा.प्र.से. (2013) जो वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, को उनसे कनिष्ठ अधिकारी श्री गौरव कुमार सिंह, भा.प्र.से. (2013) के प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति के तिथि से प्रवर श्रेणी वेतनमान Pay Matrix Level-13 में प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान करता है.

3. श्री जगदीश सोनकर, भा.प्र.से. (2013) द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत प्रबंध संचालक, अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

4. श्री पी. एस. ध्रुव, भा.प्र.से. (2013) द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

5. भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्र. 11030/14/2025-AIS-II (Pay), दिनांक 31-12-2025 द्वारा प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति हेतु 07 रिक्ति निर्धारित की गई है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 31 दिसम्बर 2025

क्रमांक ESTB-102(1)/681/2025-GAD-2.—राज्य शासन एतद्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के आवंटन वर्ष 2022 बैच के निम्नलिखित अधिकारियों की आवंटन वर्ष से 04 वर्ष की सेवा, दिनांक 31-12-2025 को पूर्ण होने के उपरांत, भा.प्र.से. (वेतन) नियम, 2016 के नियम 3(1)(B)(i) के अंतर्गत, दिनांक 01-01-2026 से सेवा के वरिष्ठ वेतनमान Pay Matrix Level-11 में नियुक्त किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त निम्नानुसार पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	सुश्री नम्रता चौबे, भा.प्र.से.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बीजापुर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बीजापुर
2.	श्री प्रखर चंद्राकर, भा.प्र.से.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत गरियाबंद	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत गरियाबंद

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 24 फरवरी 2026

क्रमांक 658/एफ-13/23/2025/13/2 Comp. No. 141360/RULE/625/2025/Energy. — आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ सरकार, द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 3028/एफ-13/23/2025/13/2 Comp. No. 141360 दिनांक 12-12-2025 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

1. सरल क्रमांक 1 के खण्ड (2) के परंतुक को विलोपित किया जाये.
2. सरल क्रमांक-1 के खण्ड (3) का शीर्षक “18 वर्ष से कम आयु के बालक/बालिका, जिसे आधार नंबर नहीं मिला.” उप-खण्ड (अ), (ब) एवं (स) के प्रावधानों सहित विलोपित किया जाये.
3. सरल क्रमांक-1 के खण्ड (3) के अंतर्गत शीर्षक “जिन लाभार्थियों की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है और जिन्हें आधार नंबर नहीं मिला है, उनके लिए”, के उप-खण्ड (ब) की प्रविष्टि (दस) को विलोपित किया जाये.
4. सरल क्रमांक-4 को विलोपित किया जाये.

यह संशोधन, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

No. 658/F-13/23/2025/13/2 Comp. No. 141360/Rule/625/2025Energy.—In pursuance of the provisions of Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the said Act), the Government of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in Notification No. 3028/F-13/23/2025/13/2 Comp. No. 141360 dated 12-12-2025, namely —

AMENDMENT

In the said notification,—

1. Proviso to Clause (2) of serial 1 shall be omitted.
2. Heading “for a child below 18 years of age to whom an Aadhaar number has not been assigned:” of Clause (3) of serial number 1 along with provisions of sub-clause (A), (B) and (C) shall be omitted.
3. Provisions of entry (x) of sub-clause (B) under the heading “for beneficiaries aged 18 years or more to whom an Aadhaar number has not be assigned:” of clause (3) of serial number 1 shall be omitted.
4. Serial Number 4 shall be omitted.

This amendment shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कोशले, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 24 नवम्बर 2025

क्रमांक/9042/अ-82/2024-25. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर- रामानुजगंज	शंकरगढ़	खैराडीह/जारगीम प.ह.नं. 12	5.093	अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शंकरगढ़	खैराडीह/जारगीम व्यपवर्तन योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), शंकरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 24 नवम्बर 2025

क्रमांक/9043/अ-82/2024-25. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर- रामानुजगंज	शंकरगढ़	करासी प.ह.नं. 04	3.837	अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शंकरगढ़	करासी व्यपवर्तन योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), शंकरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 30 दिसम्बर 2025

क्रमांक/9992/अ-82/2023.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर- रामानुजगंज	वाड्डफनगर	वाड्डफनगर प.ह.नं. 13	0.375	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उप संभाग वाड्डफनगर	बॉयपास सड़क निर्माण योजना अन्तर्गत ग्राम वाड्डफनगर

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), वाड्डफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 30 दिसम्बर 2025

क्रमांक/9993/अ-82/2023.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर- रामानुजगंज	वाड्डफनगर	ककनेशा प.ह.नं. 18	2.88	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग, उप संभाग वाड्डफनगर	ककनेशा जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण के अंतर्गत ग्राम ककनेशा

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), वाड्डफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 30 दिसम्बर 2025

क्रमांक/9994/अ-82/2023. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर- रामानुजगंज	वाड्डफनगर	रजखेता प.ह.नं. 15	0.7056	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उप संभाग वाड्डफनगर	बॉयपास सड़क निर्माण योजना अंतर्गत ग्राम रजखेता

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), वाड्डफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 10 फरवरी 2026

क्रमांक/550/अ-82/2023. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर- रामानुजगंज	चलगली	अलका प.ह.नं. 39	3.44	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग, उप संभाग वाड्डफनगर	कुकझरिया व्यपवर्तन योजना अंतर्गत ग्राम अलका

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), वाड्डफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र कुमार कटारा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय कलेक्टर, जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

कोण्डागांव, दिनांक 5 जनवरी 2026

क्रमांक/24/अ-82/2021-22/भू-अर्जन/2023.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोण्डागांव	कोण्डागांव	वनउसरी	0.164	अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव	वनउसरी माकड़ी मार्ग के कि.मी. 2/2 नारंगी नदी पर सेतुमय पहुंच मार्ग निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोण्डागांव, जिला-कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नुपूर राशि पन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय कलेक्टर, जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

नारायणपुर, दिनांक 16 फरवरी 2026

राजस्व प्रकरण क्रमांक/598/202505170400029/अ-82/2024-25, 202505170500005/अ-82/2024-25, 202505170400027/अ-82/2024-25 एवं 202505170400028/अ-82/2024-25.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नारायणपुर	छोटेडोंगर	परपा, प.ह.नं. 29	0.6292	अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नारायणपुर जिला नारायणपुर	ग्राम बड़गांव से धुरबेड़ा ताड़ोंनार होते हुए जिला मुख्यालय तक सड़क निर्माण कार्य लम्बाई 21.00 कि.मी.
	छोटेडोंगर	कुम्हारीबेड़ा, प.ह.नं. 30	0.328		
	नारायणपुर	ताड़ोनार, प.ह.नं. 25	0.5106		
	नारायणपुर	गोटोबेनूर, प.ह.नं. 23	0.689		
2.157					

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), नारायणपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नारायणपुर, दिनांक 16 फरवरी 2026

राजस्व प्रकरण क्रमांक/604/202510170400028/अ-82/2024-25.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नारायणपुर	नारायणपुर	बखरूपारा खड़ीबहार	0.99442 0.62972	अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नारायणपुर जिला नारायणपुर	नारायणपुर के बखरूपारा से खड़ीबहार तक उच्चस्तरीय पुलिया सह सड़क डिवाइडर एवं नाली निर्माण कार्य

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नारायणपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नम्रता जैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सारंगढ़-बिलाईगढ़, दिनांक 10 फरवरी 2026

क्रमांक/20260232060007/अ-82/2025-2026.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सारंगढ़- बिलाईगढ़	सारंगढ़	ईच्छा प.ह.नं. 42	0.066	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कलमा बैराज के डूबान क्षेत्र हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सारंगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कन्नौजे, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 9 फरवरी 2026

प्र. क्रमांक/202406141400012/अ-82/2024-25/63.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	दमकसा एवं तरहुल	0.260	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), संभाग भानुप्रतापपुर	संबलपुर – सिलपट मार्ग लंबाई 21.40 कि.मी. चौड़ीकरण एवं मजबूती- करण कार्य

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

रायगढ़, दिनांक 2 फरवरी 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/171/202511042900025/अ-82/2025-26.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	भागोडीह प.ह.नं. 18	0.436	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रायगढ़	भू-अर्जन युटिलिटी शिफ्टिंग के अंतर्गत आर.ओ.बी./ आर.यू.बी. निर्माण हेतु भू-अर्जन

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 फरवरी 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/173/202511042900024/अ-82/2025-26.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	बिलासपुर प.ह.नं. 39	0.071	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रायगढ़	भू-अर्जन युटिलिटी शिफ्टिंग के अंतर्गत आर.ओ.बी./ आर.यू.बी. निर्माण हेतु भू-अर्जन

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 फरवरी 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/175/202511042900023/अ-82/2025-26.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	भूपदेवपुर प.ह.नं. 39	0.216	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रायगढ़	भू-अर्जन युटिलिटी शिफ्टिंग के अंतर्गत आर.ओ.बी./ आर.यू.बी. निर्माण हेतु भू-अर्जन

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 फरवरी 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/281/202508042100005/अ-82/2024-25.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	टिनमिनी	0.872	—	—

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक चतुर्वेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला मोहला-मानपुर-अं. चौकी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मोहला-मानपुर-अं. चौकी, दिनांक 27 मार्च 2026

क्रमांक/1242/भू-अर्जन/2025/202210300300002/अ-82/2022-23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मोहला-मानपुर- अं.-चौकी	अं. चौकी	हालमकोड़ो प.ह.नं. 30	0.109	कार्यपालन अभिर्यता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव	हालमकोड़ो जलाशय अंतर्गत नहर निर्माण कार्य

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तुलिका प्रजापति, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय कलेक्टर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

बस्तर जगदलपुर, दिनांक 21 जनवरी 2026

क्रमांक/LAND/153/2025/भू-अर्जन/202512152700001/अ-82/2025-26. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	लोहण्डीगुड़ा	धर्माबेड़ा प.ह.नं. 02	0.234	कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर	चंदेला - धर्माबेड़ा से अमलीधार मार्ग के कि.मी. 1/3 भंवरडीह नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी लोहण्डीगुड़ा/कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर जिला बस्तर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिस. एस, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग**

कोरबा, दिनांक 1 जनवरी 2026

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला-कोरबा
(ख) तहसील-करतला
(ग) नगर/ग्राम-बेहरचुंवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.343 हेक्टेयर

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 26/202010050400006/अ-82/2024.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
32, 34	0.089
254/1	0.036
253	0.065
252	0.073

(1)	(2)	कार्यालय, कलेक्टर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	
251	0.036		
248	0.036		
249	0.053	बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 19 फरवरी 2026	
260/1	0.053		
258	0.061	क्रमांक/720/अ-82/2025-26.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् में अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—	
259	0.004		
260/2	0.040		
260/3	0.040		
260/4	0.040		
260/5	0.036		
263	0.089	अनुसूची	
261	0.004	(1) भूमि का वर्णन—	
265	0.040	(क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज	
271/1	0.036	(ख) तहसील-रामचन्द्रपुर	
271/3	0.036	(ग) नगर/ग्राम-सिलाजू	
271/2	0.036	(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.34 हेक्टेयर	
267/3	0.004	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
270	0.097	(1)	(2)
323	0.069		
321	0.040	1447	0.44
318	0.049	1208	0.06
322	0.004	1450	0.26
320/1	0.032	1432	0.26
320/2	0.032	1213	0.04
319	0.105	1216	0.02
317/1	0.008	1220	0.02
		1110	0.08
		1209	0.07
		1111	0.04
		1217	0.05
योग	30	1.343	
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बोकरदा जलाशय योजना के माईनर नहर निर्माण कार्य हेतु.		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिलाजू जलाशय योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण के अन्तर्गत ग्राम-सिलाजू हेतु	
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रामानुजगंज के कार्यालय में किया जा सकता है.	
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कुणाल दुदावत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.		छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र कटारा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-बालोद, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

बालोद, दिनांक 2 फरवरी 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/44/202308241500012/अ-82/
वर्ष 2024-25— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है
कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के
पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर
और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात्
में अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके
द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए
आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-बालोद
- (ख) तहसील-डौणडीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-दल्ली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2235.15/0.22 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

525 का टु

169.28/0.016

(1)

(2)

525 का टु

174.99/0.017

525 का टु

216.83/0.021

423 का टु

168.55/0.016

525 का टु

296.05/0.029

529 का टु

203.97/0.020

529 का टु

205.56/0.020

525 का टु

183.04/0.018

529 का टु

241.75/0.024

525 का टु

161.54/0.016

424/1 का टु

46.61/0.004

529 का टु

166.98/0.016

योग

12

2235.15/0.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—मोहड़ जलाशय
निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व), जिला बालोद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दिव्या उमेश मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.